भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3293
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइंस में अनुरक्षण संबंधी दोष

3293. श्री कल्याण बनर्जी:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) घरेलू और वाणिज्यिक एयरलाइनों के लिए वर्ष 2021-22 से रिपोर्ट किए गए और दर्ज किए गए अनुरक्षण संबंधी कमियों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) श्रेणीबद्ध रूप से वर्ष 2021-22 से दर्ज की गई शिकायतों का वर्षवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या कुछ एयरलाइन नागर विमानन आवश्यकताओं का, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2021-22 से एक ही विमान/उड़ान और/या एक ही श्रेणी के विमानों में कमियों को दर्ज करने, रिपोर्ट करने, जांच करने या सुधार करने के प्रावधान हैं, अनुपालन करने में विफल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) सरकार द्वारा हाल की विमान दुर्घटनाओं के आलोक में, नागर विमानन में संरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने और इन्हें लागू करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम/किए गए उपाय क्या हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): विवरण अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन और रखरखाव संगठन विनियामक संपरीक्षाएं, रात्रि निगरानियां, रैंप निरीक्षण, स्पॉट चेक और विशेष संपरीक्षाएं आदि की प्रणाली के माध्यम से उन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना जारी रखें जिनके आधार पर उन्हें प्रारंभ में अनुमोदित किया गया है और गैर-अनुपालन के मामले में, डीजीसीए संगठन और कर्मियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाइयां शुरू करता है, जिसमें वित्तीय जुर्माना लगाने सहित चेतावनी, निलंबन और रद्दकरण शामिल हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने ईजीसीए प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई डिजिटल निगरानी सेवा अर्थात 'ट्रैक द टेल' विकसित की है, जो प्रत्येक विमान के परिचालन जीवनचक्र के दौरान इससे संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी और परिचालन जानकारी की निगरानी करती है। यह सेवा विमान की स्थिति और घटक के निष्पादन की निरंतर ट्रैकिंग उपलब्ध कराती है जो सुरक्षा संबंधी समस्याओं का शीघ्र पता लगाने को सक्षम बनाती है और विमान की उड़नयोग्यता की निगरानी को सुदृढ़ करती है तथा विमानन सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है।

अनुलग्नक

(क): वर्ष 2021-22 से विभिन्न एयरलाइनों में रिपोर्ट की गई तकनीकी खराबी/अड़चनों का वर्षवार विवरण:

क्र.सं.	वर्ष	कुल दोष/अड़चन की संख्या
1.	2021	526
2.	2022	536
3.	2023	470
4.	2024	421
5.	2025	353

(ख): वर्ष 2021-22 से डीजीसीए के पास दर्ज यात्री शिकायतों का वर्षवार विवरण:

क्र.सं.	शिकायत का तरीका	वर्ष-वार				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1.	ईमेल और भौतिक मोड	उपलब्ध नहीं है	648 *	2106	1677	2251
2.	पीजी पोर्टल	4131	3135	3146	2003	1306
3.	इनग्राम	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	261	336	368
कुल		4131	3783	5513	4016	3925

(* 25 जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक)

(ग): डीजीसीए द्वारा एयरलाइनों के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का वर्षवार विवरण:

क्र.सं.	संगठन	2023	2024	2025
1.	एअर इंडिया	75	96	116
2.	एआईएक्स कनेक्ट	12	13	03
3.	एअर एशिया	13	00	00
4.	एलाइंस एअर	9	08	16
5.	इंडिगो	127	144	105
6.	गोएयर	14	00	00
7.	स्पाइसजेट	43	24	29
8.	विस्तारा	20	08	00
9.	एसएनवी	11	27	17
कुल		324	320	286

*****